



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार 4 अगस्त, 2020

श्रावण 13, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आबकारी अनुभाग-2

संख्या 1628 ई-2/तेरह-42-2013

लखनऊ, 4 अगस्त, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-51

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, और सरकारी अधिसूचना संख्या-462 ई-2/तेरह-2016-42-2013 दिनांक मार्च 28, 2016 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निदेश देती हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से राज्य सरकार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिफल शुल्क के रूप में धनराशि का भुगतान प्राप्त करेगी:-

अनुसूची

माइल्ल एवं स्ट्रांग बीयर के एम. आर. पी. के निर्धारण का सूत्र माइल्ल (5 प्रतिशत वी./वी. या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता) एवं स्ट्रांग (5 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी./वी. अल्कोहल की तीव्रता तक)				
यवासवक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई. बी.पी.) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति केन (500 एम.एल.) (रु.में)(EBP)	प्रतिफल फीस प्रति केन (500 मि.ली.) (रु.में) (D)	थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति केन(500मि.ली) (रु.में)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500मि.ली) (रु.में)	अधिकतम फुटकर मूल्य प्रति केन(500मि.ली.) MRP (रु.में) जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एक्स ब्रिबरीज प्राइस(ई.बी.पी.)	रु. ई.बी.पी-(E) का 280 प्रतिशत	रु.1.50	रु.13.50	स्तम्भ 1+2+3+4 का योग

आज्ञा से,  
संजय आर. भूसरेड्डी  
अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1628 E-2/XIII-42-2013, dated August 4, 2020 for the general public.

No. 1628 E-2/XIII-42-2013

*Dated Lucknow, August 4, 2020*

In Exercise of the powers under section 30 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, (U.P. Act no. 1 of 1904), and in supersession of Government Notification No. 462 E-2/XIII-2016-42-2013 dated March 28, 2016, the Governor is pleased to direct that with effect from April 1, 2020 the State Government shall accept payment of sum as consideration fee at the rate specified in the Schedule below:-

SCHEDULE

<b>Formula for determination of M.R.P. of mild and strong beer (Mild- strength up to 5% v/v alcohol / (Strong-Strength more than 5% v/v but up to strength 8 % v/v of alcohol)</b>				
To declaration Ex-Brewery Price (EBP) by brewer fixed Ex Brewery/ Bonded Unit/ Ex-CSD Price Per Can (500 ml) (in Rs.) (EBP)	Consideration fee per Can (500ml) (in Rs.) (D)	Margin of Wholesaler per Can (500ml)	Margin of Retailer per Can (500ml)	MRP in Rs per Can (500ml) The amount of difference will be taken as an additional consideration fee by the rounding off it to the next coefficient of Rs.10.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ex-Brewery Price (EBP)	Rs. 280% of EBP(E)	Rs. 1.50	Rs. 13.50	Sum of Column 1+2+3+4

By order,  
SANJAY R. BHOOSREDDY,  
*Apar Mukhya Sachiv.*